## –::आदेश::–

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 52 / 2020 / एफ0सी0 / 1650 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13 से कोठार गांव(प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 03(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.636हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कोठार के सिविल खसरा न0 112,2293,2484,112 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।

उक्त के कम इस कार्यालय के पत्र सं0 779 / XI -ए0एल0सी0–2(2018–19)दिनांक 15.02.2021 के द्वारा उपजिलाधिकारी घनसाली को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया हैं। उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी घनसाली द्वारा अपने पत्र सं0 मेमो / र0का0प्र0मं0ग्रा0स0यो0)2017 / दिनांक 26.06.2021 में उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में तहसील स्तरीय समिति द्वारा ग्राम कोठार के ज0वि0र0 खतौनी खाता सं0 31 उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ में दर्ज खसरा सं0 112 रक्वा 1.959,खसरा सं0 2293 रक्वा 0.358, खसरा न0 2484 रक्वा 1.319 कुल रक्वा 3.636 हे0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था किन्तु खसरा न0 112 वन पंचायत हेतु स्वीकृत होने के कारण खसरा न0 2293,2484 दूर होने से कार्य करने में असुविधा होगी। तहसील स्तरीय समिति के द्वारा संशोधित जांच आख्या में खतौनी खाता सं0 31 के खसरा न0 2570 रक्वा 6.337 हे0 मध्ये 3.636 हे0 प्रस्तावित किया गया हैं। तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच आख्यानुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

| ग्राम | पट्टी | खाता संख्या | खसरा सं0 | अर्जित रक्वा (हे0) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कोठार | भिलंग | 31 | 2570म0 | 3.636 | उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ |
| | | | | **3.636हे0** | |

प्रस्तावित घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13 से कोठार गांव(प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882 / XVIII(II) / 11–18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365 / XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्याः–2173 / XVIII(II) / 2012–18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 3.636 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

**कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।**

संख्या–554 / XI–A.L.C.(2020–21)दिनांक,नई टिहरी, सितम्बर, 21,2021.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई,सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी
7– उप जिलाधिकारी घनसाली।
8– तहसीलदार घनसाली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

शीट नं० 5

मौजा नम्बर ग्राम - कोठार पट्टी - जिला टिहरी - तहसील

बाबत - वनभूमि को हस्तांतरित विवरण

पैमाना 64" = 1 मील

रकबा - 3.636 है० भूमि हस्तांतरित

अर्जित रकबा - 319 × 228 = 3.636 है०

आलामात

| संकेत/नाम - | चिन्ह |
|---|---|
| कजर भूमि | —॥—·— |
| सरहद-नम्बर | —□— |
| नाप भूमि | (अंडाकार चिन्ह) |
| रास्ता | —------ |

सत्य प्रतिलिपि

खतौनी नकल अधिनियम ग्राम कोठार पट्टी सिरसा [illegible]
1422 से 1427 फसली वर्ष

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी – 9 धारा 4(3)क | | 1 | 0.516 | | | | | | | | | | | |
| 31 | वर्ग 4(3)क वज्य | [illegible] | 6 | 0.008 | | | | | | | | | | | |
| | भूमि अप्राप्य | [illegible] | 11 | 0.262 | | | | | | | | | | | |
| | साझा | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | लगातार | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2570 | 6.337 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4350 | 0.010 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4352 | 0.016 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4356 | 0.016 | | | | | | | | | | | |
| | सम्पूर्ण जोत का क्षेत्र – | | 405 | 88.955 | | | | | | | | | | | |

खतौनी नकल अक्षरशः देख ली

[illegible]

देवद

जिला स्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच रिपोर्ट तहसील घनसाली के विकासखण्ड–भिलंगना में घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग के ग्राम कोठार पट्टी भिलंग तहसील– घनसाली, जनपद–टिहरी गढ़वाल ।

घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग कि०मी० 13 से कोठार सेरा प्रथम का नव निर्माण के स्थापना हेतु तहसील घनसाली पट्टी भिलंग ग्राम कोठार खतोनी खाता संख्या 31 खसरा 2570 कुल रकबा 6.337 में से कुल क्षेत्रफल 3.636 हे0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि श्रेणी वर्ग 9 (3) क एंव ख को छोड़कर श्रेणी–9–(3)ड़ में दर्ज अभिलेख है को क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि की अधिसूचना संख्या–866/X–3–2011/8(21)/2010, दिनांक 23.09.2011 एंव शासनोश संख्या–883/ X–3–2011/8(21)/2010, दिनांक 04.10.2011 एंव शासनादेश संख्या–2882/XVIII(11)II–18(120)/3–2010, दिनांक– 11 नवम्बर, 2011 के आलोक में क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग जिला टिहरी गढ़वाल को आवंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा आज दिनांक 26/02/2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया ।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्दकोष के अनुसार वन नहीं है। सरकारी अभिलेख में वन दर्ज नहीं है एंव मौके पर वन स्वरूप नहीं है। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली पट्टी भिलंग ग्राम कोठार के खसरा नम्बर 2570 कुल रक्बा 6.337 हे0 में से कुल क्षेत्रफल 3.636 हे0 श्रेणी 9(3)ड़. में बंजर दर्ज है। शासनादेश संख्या–2882/ XVIII(11)II–18(120)/3–2010, दिनांक– 11 नवम्बर, 2011 के अनुसार इस भूमि पर वन अधिनियमें लागू नहीं है। प्रस्तावित परियोजना/भवन का निर्माण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः तहसील घनसाली पट्टी भिलंग ग्राम कोठार तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा ग्रामसभा कोठार के खाता संख्या 31 की 3.636 हैक्टेयर भूमि को वन विभाग जिला टिहरी गढ़वाल को क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति को संस्तुति सहित प्रस्तावित करती है।

(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी घनसाली टिहरी गढ़वाल

P.M.G.S.Y. I.D. J. New Tehri

पोखाल अनुभाग

T.O.(G)